

## **Pension Adalat 2019**

### **For the attention of O/o the C&AG of India's pensioners/family pensioners**

A 'Pension Adalat 2019' is scheduled to be held on **23.08.2019 (Friday)** at **10:00 Hrs** at O/o C&AG of India, New Building, 9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110124 to consider and redress grievances of Pensioner/Family Pensioners who retired from O/o C&AG of India (Headquarters only) including deputationist.

Pensioners/Family Pensioners may send their grievances, if any in the prescribed format (below) to:

Shri Sameer Mehta, Director (Personnel), Office of the Comptroller And Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110124 on email at [mehtas@cag.gov.in](mailto:mehtas@cag.gov.in) or [saoobills@cag.gov.in](mailto:saoobills@cag.gov.in) or by post at the above address in an envelope superscribed "Pension Adalat 2019". Grievance received in this office by 20.08.2019 shall be considered.

Sd/-  
(SAMEER MEHTA)  
DIRECTOR/PERSONNEL

### **Format for filing Grievance**

Sl. No.	Subject	Details to be filled in by the individual/pensioner
1.	Name of the Pensioner/Family Pensioner with designation at the time of retirement:	
2.	Date of Retirement/Death	
3.	PPO No.	
4.	Correspondence Address	
5.	Mobile No./E-mail	
6.	Description of the grievance	
7.	Date & signature of the Individual/Pensioner	

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,  
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124  
पेंशन अदालत 2019

भारत के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनरों के ध्यानार्थ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली से सेवानिवृत्त (केवल मुख्यालय) प्रतिनियुक्ति सहित पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 में 'पेंशन अदालत 2019' का आयोजन दिनांक 23.08.2019 (शुक्रवार) को 10:00 बजे को किया जाएगा।

पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स अपनी शिकायतें, यदि कोई है, तो नीचे दिये गये निर्धारित प्रारूप में ईमेल mehtas@cag.gov.in या saooebills@cag.gov.in पर या नेम्नलिखित पते पर एक लिफाफे पर 'पेंशन अदालत 2019' लिखकर अपनी शिकायत भेज सकते हैं,

श्री समीर मेहता, निदेशक (कार्मिक), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110124

इस संदर्भ में दिनांक 20.08.2019 तक कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर विचार किया जाएगा।

हस्ताक्षरित/-  
(समीर मेहता)  
निदेशक / कार्मिक

शिकायत दर्ज करने का प्रारूप

क्र. सं.	विषय	पेंशनर द्वारा भरे जाने वाले विवरण
1.	पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का नाम एवं पदनाम (सेवानिवृत्ति के समय):	
2.	सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तारीख	
3.	पीपीओ सं.	
4.	पत्राचार का पता	
5.	मोबाइल नंबर / ई-मेल	
6.	शिकायत का विवरण	
7.	दिनांक सहित पेंशनर के हस्ताक्षर	